प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2023 प्र0इ0रि0 सं. .....245/23.....दिनांक.....14/9/2023.....

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (II) अधिनियम ..... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ....287 समय ....6:30 p.m.....
   (ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, दिनांक 13.09.2023 समय 1.55 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- कमरा नं0 5, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पूर्व दिशा करीब 55 किमी
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम- श्री सूरजमल पटवा
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री केशर लाल,
   (स) जन्म तिथी- उम्र- 61 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय - व्यवसाय
   (ल) पता- निवासी मु.पो. कोटखावदा जिला जयपुर (राज.)

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री लालचंद शर्मा पुत्र सुरजमल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष निवासी रामपुरा, पोस्ट बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)... .....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 5,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 04-09-2023 को परिवादी श्री सूरजमल पटवा पुत्र श्री केशर लाल जाति पटवा निवासी मु.पो. कोटखावदा जिला जयपुर (राज.) ने ब्यूरो में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामे, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो. एसीबी चौकी, जयपुर ग्रामीण जयपुर। विषयः- रिश्वत लेते हुये पकड़वाने बाबत। महोदयजी निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा खेत पर जाने के लिए S.D.O. कोर्ट चाकसू मे एक वाद दायर किया गया था। उसमे खेत पर जाने के लिए रास्ता मांगा गया था। जिस पर S.D.O. साहब द्वारा तहसीलदार कोटखावदा से रिपोर्ट मांगी गई थी। श्रीमान् तहसीलदार कोटखावदा द्वारा रिपोर्ट गलत तैयार कर S.D.O. कोर्ट

भेजी गई। जिसका मैने S.D.O. साहब चाकसू द्वारा तहसीलदार कोटखावदा सही रिपोर्ट मांगी गई। जिसमे प्रार्थी द्वारा जिस साईड से रास्ता मांग गया है उसकी रिपोर्ट चाहि गई है। चाहि गई रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी गिरदावर द्वारा तैयार करके कोटखावदा तहसीलदार को भेजी गई। उस पर श्रीमान् तहसीलदार कोटखावदा द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये गये। उक्त रिपोर्ट को कोटखावदा तहसीलदार का रीडर लालचंद द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी से रिश्वत राशी प्राप्त करने की नियत से रिपोर्ट को अपने पास रख रखी है। मेरे द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी वह रिपोर्ट को S.D.O. साहब के कार्यालय मे नही भेज रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री लालचंद रीडर प्रार्थी से बगैर रिश्वत प्राप्त किये मेरी उक्त रास्ते की रिपोर्ट को तैयार नही करेगा। और मै अबकी बार उसके पास मेरे खेत की रास्ते वाली रिपोर्ट के सम्बन्ध मे वार्ता (बातचीत) करने जाउंगॉ तब मेरे से मेरे जायज काम को करने की ऐवज मे रिश्वत की ंग करेगा। यह जमीन मेरी पत्नि के नाम विजयलक्ष्मी पटवा के नाम है। मै मेरे उक्त जायज कार्य के एवज मे मे श्री लालचंद रीडर कोटखावदा तहसीलदार को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। अतः श्रीमान् जी निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट पर उचित कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करे। आपकी महती कृपा होगी। दि. 4/09/2023 एसडी/-सूरजमल पटवा S/o श्री केशर लाल जाति पटवा मु.पो. कोटखावदा जिला जयपुर (राज.) Pin - 303908 M.9460189525'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दिनांक 11-9-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो श्री लालचंद रीडर कम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तसहीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर द्वारा परिवादी की खेत मे जाने वाले रास्ते की रिपोर्ट एसडीओ चाकसू को भेजने की एवज में 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया।

दिनांक 13-9-2023 को परिवादी श्री सूरजमल पटवा पुत्र श्री केशर लाल जाति पटवा, उम्र 61 वर्ष, निवासी मु.पो. कोटखावदा जिला जयपुर (राज.) उपस्थित कार्यालय आने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री सूरजमल ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये पेश किए। उक्त नोटो पर श्रीमती सुनीता महिला कानि0 नं0 43 से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भलीभांति लगवाया जाकर रिश्वती राशि परिवादी की पहनी हुई पेट की साईड की दाहिनी जेब मे रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की गई।

समय करीब 12,15 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार मीना एवं श्री निखिल कुमार मय परिवादी श्री सूरजमल पटवा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय कोटखावदा, जिला जयपुर पर पहूंच कर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 01.55 पीएम पर परिवादी सूरजमल पटवा पुत्र श्री केशर लाल जाति पटवा निवासी मु.पो. कोटखावदा जिला जयपुर (राज.) ने अपने मोबाईल नं0 9460189525 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 7014657582 पर मिस कॉल किया चूंकि मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के वकीलो केबैठने वाली जगह पर मुकीम था तो परिवादी श्री सुरजमल पटवा मुझे कमरे के बाहर दरवाजे के पास से कॉल करता नजर आया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी जो कि कमरा नं0 5 के बाहर गैलेरी मे खड़ा हुआ था जिससे पूर्व में सुपुर्द किए गए विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरस को प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक के गैलेरी मे मुख्य दरवाजे की तरफ जाते हुये काली पेंट व क्रीम कलर की शर्ट पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा किया जस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान ने परिवादी द्वारा बताये गये उक्त हुलिए के व्यक्ति का पीछा कर तहसील कार्यालय के मुख्य दरवाजे के बाहर हमराही जाप्ते की मदद से रोका तथा अपना तथा हमराहीयान का परिचय दिया जाकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लालचंद शर्मा पुत्र सुरजमल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष निवासी रामपुरा, पोस्ट बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर होना बताया। जिस पर श्री लालचंद शर्मा रीडर को हमराह साथ लेकर उसके कक्ष कमरा नं0 5 मे लेकर आए व लिखापढ़ी आरंभ की गई। परिवादी ने बताया कि मै आपके यहां से रवाना होकर तहसील कार्यालय मे आया तो रीडर लालचंद शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे मिले जिनको मेने कहां कि साहब मेरा काम कर दो तो लालचंद जी ने कहा कि मैने तो कर दिया इस पर मैने कहा कि आपने जो कहा कि पांच

हजार रूपये लेकर आओ मै वह पैसे लेकर आ गया हूं ये पांच हजार रूपये आप गिन लो तो लालचंद जी ने कहा कि रखो आप फिर मैने कहा कि आपने मुझसे पांच हजार रूपये काम के मांगे थे वह लेकर आ गया रख लो तो उन्होने कि दराज मे डाल दो एवं दराज की ओर ईशारा किया और लालचंद जी ने अपनी टेबिल की दराज खोली ओर मेने 5000 रूपये रख दिए और फिर अन्य बातचीत करी और मुझे कहा बाहर जा आओ मै भी बाहर जा रहा हूं इस पर मै लालचंद रीडर के कमरे की दरवाजे की तरफ चलने लगा और लालचंद जी ने अपनी टेबिल की दराज की तरफ झुकते हुए बंद कर दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गये मै कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहा और लालचंद जी मेरे को कमरे के बाहर छोड़ते हुए तहसील के मुख्य दरवाजे की तरफ जाने लग गये और मै आपको कॉल किया इतने मे ही मुझे वकीलो के बैठने वाली जगह पर खड़े दिख गए। इस पर स्वतंत्र गवाहान के सामने श्री लालचंद शर्मा रीडर को तसल्ली देकर परिवादी की तरफ ईशारा करके पूछा कि इनको जानते हो कया तो आरोपी श्री लालचंद ने कहा कि मै इनको जानता नही हूं। इस पर परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा कि ये आपके पास आये थे क्या जिस पर श्री लालचंद ने कहा कि ये मेरे पास आये थे इन्होने पत्रावली संख्या 251 के संबंध मे जानकारी चाही जाने पर इनको बता दिया गया कि उक्त पत्रावली का जवाब भिजवाया जा चुका है उसके बाद मे जवाब भिजवाने के संबंध मे बताया जाकर मै कमरे से बाहर चला गया था उसके बाद मे क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नही है ये मुश्किल से दो चार मिनट रूके थे। इस पर श्री लालचंद ने परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा गया कि दिनांक 11-9-2023 को ये आपके पास आये थे क्या जिस पर श्री लालचंद ने कहा कि मुझे दिनांक तो ध्यान मे नही है लेकिन ये मेरे पास अपनी पत्रावली की जानकारी चाहने बाबत आये थे तत्समय इनको जवाब भिजवाने की जानकारी दे दी गई। तत्पश्चात् श्री लालचंद को परिवादी द्वारा श्री सुरजमल से ली गई रिश्वत राशि 5000/- रूपये बाबत पूछा गया तो श्री लालचंद ने कहा कि मैने कोई भी रिश्वत राशि इनसे नही ली है तथा पत्रावली के संबंध मे पुनः जानकारी चाहने पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चाकसू मे भिजवाने की जानकारी दी गयी। तत्पश्चात् मै मै कमरे मे से चला गयाऔर मै कमरे ये कमरे मे पीछे रह गये इस पर पास खड़े परिवादी ने दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने आरोपी श्री लालचंद की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि श्री लालचंद जी रीडर साहब झूंठ बोल रहे है मै इनके पास दिनांक 11-9-2023 को मेरे काम के संबंध मे आया था तब इन्होने मुझसे कहा था कि आप तो पांच हजार रूपये देकर फ्री हो आपका काम हो जायेगा और इनकी उक्त मांग के अनुसारण मे आज इन्होने से मेरे से 5000/- रूपये रिश्वत के अपनी टेबिल की बीच की दराज मे रखवाए थे। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार से श्री लालचंद शर्मा रीडर की टेबिल की बीच की दराज को खुलवाया गया तो टेबिल की दुसरे नम्बर की दराज मे कागजो की नीचे पांच पांच सौ रूपये के नोटो की एक छोटी गड्डी दिखाई दी। जिसे स्वतंत्र गवाह निखिल कुमार से उठवाई जाकर गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपये मिले है जिनका मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए जिनको स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार के पास सुरक्षित रखवाए गए। परिवादी ने कार्यवाही के दौरान बताया गया कि 28 जुलाई 2023 तक को उसका पत्र एसडीओ कार्यालय मे नही पहूंचा है। इस पर एसडीओ चाकसू से सम्पर्क करना चाहा तो एसडीओ चाकसू द्वारा फोन रिसिव नही किया गया।

तत्पश्चात् परिवादी से पूछा गया कि क्या आपने रिश्वत के 5000/- रूपये कागजो के बीच मे रखे थे तो परिवादी ने बताया कि मैने तो टेबिल की बीच की दराज मे उपर ही रख दिए थे ओर इनके कहने पर मै बाहर आ गया था। इस परिवादी द्वारा बताई गई बातो को ध्यान मे रखते हुए श्री लालचंद रीडर के हाथो का धोवन लिया जाना आवश्यक है।

तत्पश्चात् तहसील परिसर से प्लास्टिक की बोतल मे मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उस गिलास मे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा प्लास्टिक के गिलास के घोल मे श्री लालचंद रीडर कम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तहसील कोटखावदा के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे समस्त हाजरीन ने धोवन के रंग को अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर सिल

चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा प्लास्टिक के गिलास को काटकर नष्ट करवाया जाकर बाहर फिकवाया गया।

तत्पश्चात् पुनः एक नया प्लास्टिक का गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाया जाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा प्लास्टिक के गिलास के घोल मे श्री लालचंद रीडर कम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तहसील कोटखावदा के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे समस्त हाजरीन ने धोवन के रंग को अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा प्लास्टिक के गिलास को काटकर नष्ट करवाया जाकर बाहर फिकवाया गया।

तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री निखिल कुमार के पास सुरक्षित रखवाए गए रिश्वती राशि 5,000/- रूपये को पुनः फर्द पेशकशी से दोनो स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/- रूपये मिले है। उक्त नोटो को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि आरोपी श्री लालचंद शर्मा रीडर के हाथो का धोवन का रंग परिवर्तन संबंधी को प्रतिक्रिया नही आयी इससे प्रतीत होता है कि आरोपी ने चतुराई बरतते हुए रिश्वती राशि को छुपाने के लिए रिश्वती राशि के अन्य कागज रख दिये हो। तत्पश्चात् जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई उस स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक है।

इस पर ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन रहा है जिसे समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा प्लास्टिक के गिलास के घोल मे एक कपड़े की चिंदी लेकर टेबिल की बीच की दराज कागजो के बीच मे जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई थी उक्त कागजो मे कपड़े की चिंदी को गिलास के घोल मे बारी-बारी से डुबोकर रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर मार्क डी-1, डी-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखवाकर उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर मार्क ''सी'' अंकित किया गया तथा रिश्वती राशि बरामदगी के कागज जहां से धोवन लिया गया था उक्त कागजो पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज के बारे मे श्री लालचंद शर्मा रीडर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से पूछा गया तो श्री लालचंद शर्मा द्वारा अपनी टेबिल के पास रखी रेकनुमा आलमारी से दो कार्यालय पत्रावलियां निकाल कर पेश की गई जिनको जरिये फर्द जप्ती पृथक से जब्त की गई।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को बारी-बारी से सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है अतः रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन देन की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री लालचंद शर्मा पुत्र सुरजमल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष निवासी रामपुरा, पोस्ट बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर ने परिवादी श्री सूरजमल पटवा पुत्र श्री केशर लाल जाति पटवा निवासी मु.पो. कोटखावदा जिला जयपुर (राज.) के द्वारा एसडीओ चाकसू के यहां खेत मे जाने के लिए रास्ते की मांग करने का वाद एसडीओ चाकसू के

यहां किया था जिसकी गलत रिपोर्ट होने जाने पर परिवादी द्वारा पुनः एसडीओ चाकसू के यहां चाहा गया रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र लगाने पर एसडीओ चाकसू द्वारा पुनः रिपोर्ट मांगने पर तहसीलदार कोटखावदा द्वारा सही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देने के बावजूद तहसीलदार कोटखावदा का रीडर श्री लालचंद द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी जिस पर दिनांक 11-9-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन करवया गया तो आरोपी द्वारा 5000/- रूपये की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में आरोपी श्री लालचंद शर्मा द्वारा परिवादी श्री सुरजमल पटवा के खेत पर जाने के रास्ते बाबत सही रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद उक्त रिपोर्ट देने की ऐवज मे 5,000/- रूपये रिश्वती राशि चालाकी बरतते हुए परिवादी से अपनी टेबिल की बीच की दराज मे रखवाए गए जहां से रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर आरोपी श्री लालचंद शर्मा पुत्र सुरजमल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष निवासी रामपुरा, पोस्ट बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपी श्री लालचंद शर्मा पुत्र सुरजमल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष निवासी रामपुरा, पोस्ट बीलवा, तह. सांगानेर, जिला जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लालचंद शर्मा पुत्र श्री सुरजमल शर्मा, हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 245/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

14.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2757-60 दिनांक 14.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

14.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।